लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 137

21 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

हथकरघा ईकाइयों का विकास और पुनर्स्थापना

137. श्री हिबी इडन:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हथकरघा उद्योग के विकास और पुनर्स्थापना के लिए कोई विशेष पैकेज प्रदान कर रही है/करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने केरल में "चेंदमंगलम" हथकरघा बुनाई संकुल, जिसे हाल ही में केरल में आई बाढ़ से विनाश का सामना करना पड़ा था, में महिला श्रमिकों की कठिनाइयों पर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की बुनकर समूहों को पुनर्जीवित करने और चेंदमंगलम महिला बुनकरों की कठिनाइयों को कम करने के लिए कोई ठोस योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र मंत्री

(श्रीमती स्मृति ज़ूबिन इरानी)

(क) हथकरघा क्षेत्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए वस्त्र मंत्रालय पूरे देश में निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है:

(i) राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी);
(ii) व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस);
(iii) हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्युसीडब्ल्युएस); और
(iv) यार्न आपूर्ति योजना (वाईएसएस)

उपरोक्त योजनाओं के तहत कच्चे माल, करघे व सहायक सामान की खरीद, डिजाइन इनोवेशन, उत्पाद विविधीकरण, अवसंरचना विकास, कौशल उन्नयन, हथकरघा उत्पादों के विपणन, रियायती दर ऋण आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

क. राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी)

(i) **ब्लॉक स्तरीय क्लस्टर :** राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के एक संघटक के रूप में 2015-16 में शुरू किया गया है। कौशल उन्नयन, हथकरघा संवर्धन सहायता, उतपाद विकास, कार्यशाला का निर्माण, परियोजना प्रबंधन लागत, डिजाइन विकास, सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) की स्थापना इत्यादि जैसी विभिन्न मध्यस्थताओं के लिए प्रति बीएलसी 2.00 करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता का प्रावधान है। इसके अलावा जिला स्तर पर एक डाई हाउस की स्थापना के लिए 50.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है।

(ii) **हथकरघा विपणन सहायता:** राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम का एक संघटक है। हथकरघा बुनकरों/एजेंसियों को अपने उत्पाद सीधे उपभोगताओं को बेचने के लिए विपणन मंच प्रदान करने के उद्देश्य से घरेलू तथा विदेशी बाजारों में विपणन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए राज्यों/पात्र हथकरघा एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) **बुनकर मुद्रा योजना :** बुनकर मुद्रा योजना के तहत हथकरघा बुनकरों को 6% की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। प्रति बुनकर अधिकतम 10,000 रुपए की मार्जिन राशि सहायता और 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण गारंटी भी प्रदान की जाती है। मार्जिन राशि तथा ब्याज छूट के लिए निधियों के संवितरण में विलंब से बचने के लिए पंजाब नेशनल बैंक के सहयोग से **मुद्रा पोर्टल** विकसित किया गया है।

ख. हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एचडब्ल्यूसीडब्ल्यूएस):

हथकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना (एससीडब्ल्युएचडब्ल्यु) में प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) और परिवर्तित महात्मा गांधी बुनकर बीमा योजना (एमजीबीबीवाई) घटकों के तहत जीवन, दुर्घटना और दिव्यांगता बीमा कवरेज प्रदान किया जा रहा है।

ग. यार्न आपूर्ति योजना :

मिल गेट कीमत पर हर प्रकार का यार्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश भर में यार्न आपूर्ति योजना कार्यान्वित की जा रही है। यह योजना राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है । इस योजना के तहत माल-भाड़े की प्रतिपूर्ति की जाती है और डिपो संचालन एजेंसियों को 2% की दर से डिपो संचालन प्रभारों की प्रतिपूर्ति की जाती है। हैंक यार्न पर 10% कीमत सब्सिडी का एक संघटक भी है जो मात्रात्मक सीमा के साथ सूती, घरेलू रेशमी और ऊनी यार्न पर लागू है।

घ. हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस):

हथकरघा संवर्धन सहायता (एचएसएस) 1 दिसंबर, 2016 को शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य बुनकरों को हथकरघा उत्पादों की उन्नत उत्पादकता एवं गुणवत्ता के माध्यम से उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए करघें/सहायक सामान मुहैया कराना है। इस योजना के तहत करघा/सहायक सामान की लागत के 90% का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जबकि शेष 10% का वहन लाभार्थी द्वारा किया जाता है। भारत सरकार का हिस्सा नामित एजेंसी के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जारी किया जाता है।

ङ. हथकरघा बुनकरों तथा उनके बच्चों को शिक्षा: बुनकरों को सशक्त करने हेतु उनको तथा उनके परिवारों को कैरियर की प्रगति में समर्थ बनाने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इग्नू) तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (एनआईओएस) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। एनआईओएस हथकरघा बुनकरों के लिए दूरस्थ शिक्षण व्यवस्था के माध्यम से डिजाइन, विपणन,व्यवसाय विकास आदि के संबंध में विशेषीकृत विषयों के साथ माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक स्तरीय शिक्षा प्रदान करता है, जबकि इग्नू हथकरघा बुनकरों तथा

उनके बच्चों को कैरियर की प्रगति हेतु आकांक्षाओं के लिए संगत सुग्मय तथा स्थिति के अनुरूप शिक्षण अवसरों के माध्यम से सतत शिक्षा कार्यक्रम प्रदान कर रहा है।

वस्त्र मंत्रालय एनआईओएस/इग्नू पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु एससी/एसटी, बीपीएल तथा महिला बुनकरों से संबंधित लाभार्थियों के लिए प्रवेश शुल्क में 75% सब्सिडी प्रदान कर रहा है।

च. **इंडिया हैंडलूम ब्रांड-** दिनांक 7 अगस्त, 2015 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर उच्च गुणवत्ता वाले हथकरघा उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए माननीय प्रधान मंत्री द्वारा इंडिया हैंडलूम ब्रांड शुरु किया गया था । यह उच्च गुणवत्ता वाले, प्रामाणिक परांपरागत डिज़ाइनों वाले और पर्यावरण पर ज़ीरो डिफैक्ट और ज़ीरो इफैक्ट वाले उत्कृष्ट हथकरघा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देगा । इसकी शुरूआत से दिनांक 31.03.2019 की स्थिति अनुसार 122 उत्पाद श्रेणियों के तहत 1232 पंजीकरण जारी किए जा चुके हैं और 689.72 करोड़ रूपए की बिक्री की सूचना प्राप्त हुई है।

छ. **ई-कॉमर्स-** हथकरघा उत्पादों के ई-विपणन को बढ़ावा देने के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क तैयार किया गया था जिसके तहत अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाले इच्छुक ई-कॉमर्स प्लेटफार्म हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन में भाग ले सकते हैं। तद्नुसार निम्नलिखित 23 ई-कॉमर्स संस्थाओं को हथकरघा उत्पादों के ऑनलाइन विपणन के लिए अनुबंधित किया गया है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कुल 34.72 करोड़ रुपये की बिक्री की सूचना प्राप्त हुई है ।

(ख) से (घ): केरल में हाल ही में आई बाढ़ से हुए विनाश के कारण आई विपत्ति को दूर करने के लिए केरल राज्य सरकार ने 'चेंदमंगलम' हैंडलूम सोसायटी को विस्तारित वित्तीय सहायता के लिए पुनरुद्धार परियोजना प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। 'चेंदमंगलम' हैंडलूम सोसायटी द्वारा प्रस्तुत केरल राज्य सरकार के विचाराधीन परियोजना का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र.सं.	घटक	अनुमानित अनुमान
1.	भवन (भूतल एवं प्रथम तल)	93,60,199.00रू.
2.	प्राकृतिक ड्राइंग इकाई के लिए शेड (पंप सेट सहित 5000 लीटर पानी की क्षमता वाला पीवीसी वाटर टैंक)	42,10,008.00 रू.
3.	मशीनरी एवं उपयोगिताएं	30,01,184.00 रू.
4.	विद्युत संस्थापनाएं एवं पैनल बोर्ड	10,00,000.00 रू.
5.	डीजल जेनरेटर125 केवी की लागत	13,00,000.00 रू.
6.	बहिस्राव आशोधन संयंत्र	30,00,000.00 रू.
7.	फर्नीचर	05,00,000.00 रू.
कुल लागत		2,23,71,391.00 रू.
मूल्य वृद्धि, यदि कोई हो तो उसको कवर करने के लिए परियोजना लागत के 5% की दर से आकस्मिकता		11,18,570.00 रू.
परियोजना के लिए अपेक्षित कुल पूंजी निवेश की आवश्यकता		2,34,89,961.00 रू.

केरल राज्य सरकार द्वारा एर्नाकूलम जिले में 'चेंदमंगलम' के लिए एक सामान्य सुविधा केंद्र का भी अनुमोदन किया गया है।

****